ब्राय बिल(जैव-तकनीक नियामक प्राधिकरण विधेयक) 2013 में क्या गड़बड़ है**?**

(बिल की कॉपी देखें: http://www.prsindia.org/billtrack/the-biotechnology-regulatory-authority-of-india-bill-2013-2709/; विस्तृत आलोचना यहां देखें: http://indiagminfo.org/?page_id=82 और कानूनी आकलन यहां उपलब्ध है: http://www.greenpeace.org/india/Global/india/report/BRAI-Critique-Report.pdf)

1. प्रचार का मतलब नियमन नहीं होता: ब्राय विधेयक आधुनिक जैव तकनीक को बढ़ावा देना अपना उद्देश्य ("आधुनिक जैव-तकनीक के सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा देनेवाला विधेयक.....")बताता है। आधुनिक जैव-तकनीक को बढ़ावा देने के लिए पहले से नीतियां और योजनाएं मौजूद हैं और इसके लिए किसी नियमन-अधिनियम की जरूरत नहीं है। आधुनिक जैव-तकनीक का नियमन जरूरी है, क्योंकि यह पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए जोखिम का सबब है। 'जैव-सुरक्षा संरक्षण' को इसीलिए नियमन का मुख्य बिंदु होना चाहिए, जो कि ब्राय विधेयक के संदर्भ में नहीं है। इपीए 1989 नियमों के तहत मौजूदा नियमन व्यवस्था में जैव-सुरक्षा (बायोसेफ्टी) नियमन का आधार है। इस बात का कोई कारण नहीं है कि ब्राय विधेयक को दूसरी तरह से क्यों पेश किया जाए?
2. गलत मंत्रालय द्वारा विधेयक का प्रस्ताव और प्राधिकरण पर अधिकार: ब्राय विधेयक की प्रस्तावना जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीबीडी) और जैव-सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल (2003) का संदर्भ देते हुए विधेयक को जरूरी बताता है। सीबीडी के लिए केंद्रीय मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है और यह स्पष्ट नहीं कि विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय आखिर इस विधेयक को क्यों प्रस्तावित कर रहा है। सात ही, विज्ञान व तकनीक मंत्रालय आधुनिक जैव-तकनीक का बड़ा प्रचारक है और इस क्षेत्र में शोध व विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। कोई प्रचारक (प्रमोटर) कभी नियामक नहीं बन सकता, क्योंकि यह हितों के टकराव का सबब बन सकता है।
3. केंद्र के नियंत्रण हेतु उपयोगिता की शर्त न्यायोचित नहीं है: राज्य सरकारों के कृषि पर नियंत्रण के अधिकार का उल्लंघन उपयोगिता की शर्त से होता है (2. केंद्र के अधिकार की उपयोगिता-शर्त (एक्सपिडिएंसी क्लॉज़))। कृषि क्षेत्र में ऐसी कोई भी शर्त दूसरे नियामक विधेयकों, जैसे बीज विधेयक या कीटनाशक प्रबंधन विधेयक वगैरह से पूरी तरह गायब है और यहां इसे जोड़ने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है। खासकर, नियमन के व्यवहार में राज्य सरकारों के अधिकार का दृढ़ता से उल्लेख होने के बाद तो यह बिल्कुल ही जायज नहीं है।
4. संकीर्ण और केंद्रीभूत फैसले लेनेवाला निकाय: भारत में फिलहाल कई मंत्रालयों वाले व्यापक आधार वाली नियामक संस्था है, जिसका नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी (जीइएसी) है। अक्टूबर 2009 में जब नियामकों ने बीटी बैंगन को मंजूरी दे दी थी, हालांकि बाद में फरवरी 2010 में मुद्दे पर वैज्ञानिक और दूसरी तरह के फीडबैक के बाद भारत सरकार ने विलंबित फैसले के तहत इसे रद्द कर दिया। उस वक्त जीइएसी में 31 सदस्य थे। यह केवल यह बताने को है, कि ऐसी संस्था भी अपने फैसले में गलत हो सकती है। इसी पृष्ठभूमि में, यह अचरज की बात लगती है कि ब्राय को एक संकीर्ण, केंद्रीकृत पांच सदस्यीय(उसमें भी तीन पूर्णकालिक और दो अंशकालिक)

निर्णायक संस्था बनाने का प्रस्ताव है। ब्राय विधेयक आगे बताता है कि कोई भी प्रक्रिया महज प्राधिकरण में वैकेंसी होने के आधार पर अनुचित नहीं ठहरायी जा सकती है (सेक्शन 13)। इसका मतलब यह कि कुछ गिने-चुने लोग फैसलों को खत्म भी कर सकते हैं।

5. आरटीआई कानून को धता बताना: ब्राय विधेयक को सूचना के अधिकार कानून से मुक्त रखने का प्रस्ताव गोपनीय व्यावसायिक सूचना की आड़ में रखा गया है (खंड 28 (1))। जैव-सुरक्षा गोपनीय व्यावसायिक सूचना नहीं हो सकती है और जीन-संवर्द्धित फसलों (जीएमओ) से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए उदाहरण भी बना दिया है।
6. एग्रि-बायोटेक टास्क फोर्स की सिफारिशों की अनदेखी: ब्राय विधेयक कृषि जैव-तकनीक पर बनी टास्क फोर्स की सिफारिशों का भी ख्याल नहीं रखता है, जिसकी रिपोर्ट को भारत सरकार ने 2004 में ही स्वीकारा था। इस टास्क फोर्स ने सिफारिश की थी कि किसी भी जैव-तकनीक नियमन की नीति का आधार ऐसा होना चाहिएः *"पर्यावरण की सुरक्षा, किसानों के परिवार का भला, खेती की व्यवस्था का पारिस्थितिकी और अर्थ के हिसाब से स्थायी होना, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा, घरेलू और बाहरी व्यापार की रक्षा और देश की जैव-सुरक्षा"*। ब्राय विधेयक इसको प्रतिबिंबित नहीं करता है।
7. नियमन तकनीकी मानदंडों के हिसाब से भी संकीर्ण: जैव-तकनीक नियामक प्राधिकरण को केवल तकनीकी प्रारूप के इर्द-गिर्द आकार दिया गया है। वह तकनीकी ढांचा भी जैव-सुरक्षा का संकीर्ण प्रारूप है। ट्रांसजेनिक का नियमन जैव-सुरक्षा के दायरे से भी बाहर है (व्यापार सुरक्षा, बौद्धिक संपत्ति अधिकार, ग्रामीण आजीविका इत्यादि)। यह वर्तमान नियामक व्यवस्था की तुलना में फिर से प्रतिगामी सिद्ध होता है।
8. दंतविहीन पर्यावरण-मूल्यांकन समिति: ब्राय विधेयक के सेक्शन 26 में, पर्यावरण के मूल्यांकन के लिए एक पैनल का प्रस्ताव है, जो कि पर्यावरण मंत्री के दबाव में बनायी गयी व्यवस्था है। हालांकि इसे भी सेक्शन 27 (ए) के जरिए दंतविहीन बना दिया गया है।
9. किसी स्वतंत्र दीर्घकालीन परीक्षण व्यवस्था नहीं: ब्राय विधेयक स्वाधीन, दीर्घकालीन परीक्षण को नियमन का अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाता। हालांकि, बीटी बैंगन का विलंबित फैसला ऐसे परीक्षणों की जरूरत रेखांकित करता है। इसके अलावा, ब्राय विधेयक जैव-सुरक्षा को खुली हवा में परीक्षण के पहले जरूरी नहीं बताता, हालांकि ऐसे खुले परीक्षणों में जो तत्व पर्यावरण में जाते हैं, वे जाहिर तौर पर अपरचित और अनचीन्हे होते हैं।
10. प्रजातांत्रिक स्वरूप की कमी: ब्राय विधेयक में अनिवार्य तौर पर जनता से सलाह-संपर्क की व्यवस्था नहीं है, हालांकि कार्टाजेना प्रोटोकॉल में यह जरूरी बताया गया है, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं।
11. ग्राम सभा/जैव-विविधता प्रबंधन समिति को कोई पहचान नहीं: ब्राय विधेयक में पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं के प्राकृतिक संसाधनों संवैधानिक अधिकारों को मान्यता नहीं दी गयी

है, न ही जैव-विविधता कानून के तहत बीएमसी को ही फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

12. जरूरत या विकल्पों का आकलन नियमन में नहीं: ब्राय विधेयक में किसी भी प्रयोग की प्रक्रिया के पहले जरूरत या विकल्पों के आकलन का प्रावधान नहीं है। ना ही, यह खास इलाकों में जीन-संवर्द्धित खाद्यान्न (जीएमओ) को, कुछ खास जीएमओ को या कुछ फसलों में ट्रांसजेनिक तकनीक को प्रतिबंधित करने की बात करता है। यह एग्रि-बायोटेक टास्क फोर्स की सिफारिशों के खिलाफ है, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया है।
13. जोखिम के प्रबंधन की योजना नहीं: ब्राय विधेयक में मंजूरी की समीक्षा या वापसी की व्यवस्था नहीं है। प्रस्तावित विधेयक में जोखिम के प्रबंधन का भी उपाय नहीं है।
14. कमजोर पैनल के क्लॉज (शर्तें): ब्राय विधेयक का नाम के अनुरूप कोई उत्तरदायित्व नहीं है।
15. अपील की प्रक्रिया समस्याप्रद: अपील की व्यवस्था बांधनेवाली है, जबकि संभावित समस्याएं कई सारी हैं।

<u>भारत को इसके बदले क्या चाहिए**?**</u>

भारत को जैव-सुरक्षा संरक्षण विधेयक की जरूरत है। जीएमओ के इर्द-गिर्द कोई भी नियामक व्यवस्था का प्राथमिक लक्ष्य लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और आधुनिक जैव-तकनीक से पर्यावरण को बचाने की होनी चाहिए। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि पूरी दुनिया में नागरिकों और सरकारों ने सक्रिय तौर पर ट्रांसजेनिक तकनीक को नकार दिया है। विधेयन में निम्नांकित बातों को आधारभूत तौर पर शामिल करना चाहिए:

- सावधानी का सिद्धांत केंद्रीय निर्देशक तत्व के तौर पर।
- जीएम का विकल्प तभी चुनना, जब सारे विकल्प खत्म हो गए हों और यह दीर्घकालिक तौर पर भी सुरक्षित सिद्ध हो गया हो।
- निहित शोध और सुविचारित प्रकाशन (रिलीज) के चरणों को साफ तौर पर अलग करना। दोनों ही के लिए अलग नियमन व्यवस्था, जो श्रेणीबद्ध हो।
- नियमन और निर्णय लेने में किसी तरह के हितों का टकराव नहीं हो।
- पारदर्शी कार्यपद्धति: सूचना का खुलासा और सार्वजनिक/स्वाधीन परीक्षण
- प्रजातांत्रिक कार्यपद्धति, जिसमें सार्वजनिक हिस्सेदारी भी हो।
- जोखिम का आकलन– (अ) कठिन, वैज्ञानिक प्रोटोकॉल की अनुशंसा, फसलों का विकास करनेवाले को अध्ययन के लिए कहा और फिर उसके दिए अध्ययन का स्वतंत्र अध्ययन, उसकी समीक्षा या आकलन करना (ब) सभी सुविधाओं और संस्थागत ढांचे के साथ स्वतंत्र परीक्षण करना और नतीजों का मूल्यांकन करना।
- जोखिम प्रबंधन– मंजूरी की जांच, समीक्षा और वापसी शामिल।

- उत्तरदायित्व– दंड विषयक प्रावधान शामिल, उत्तरदायित्व व उपचार की व्यवस्था, उत्तरदायित्व की व्यवस्था, जो फसल का विकास करनेवाले और नियामक दोनों को शामिल करे।
- सूचित पसंदों के लिए व्यवस्था करना, ताकि खोजने की आवश्यकता पूरी हो सके, जिसमें आयात भी शामिल है।
- निगरानी और अपील की प्रक्रिया, जो साधारण और वहन करने लायक हों, प्रभावित पक्ष जिस तक पहुंच सकें और जो सार्वजनिक हित में हो-बिना किसी समय-सीमा के।
- भारत के संघीय ढांचे को देखते हुए, जिसमें खेती राज्य सरकारों का विषय है, विशेष प्रावधान होने चाहिए, ताकि राज्य सरकारें अपनी खुद की नियामक व्यवस्था और प्रक्रिया अपना सकें. ग्राम सभाओं की उनके प्राकृतिक संसाधनों पर संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा की जाए।

भारत को जैव-सुरक्षा संरक्षण प्राधिकरण की जरूरत है, न कि ब्राय की- ऐसी अनुशंसा, कृषि पर संसद की स्थायी समिति ने पहले ही कर दी है। यह सर्वसम्मत रिपोर्ट जीएम फसलों पर थी, जिसे अगस्त 2012 में पेस किया गया था। यह रिपोर्ट दूसरे देशों में नियामक ढांचे, भारत की वर्तमान व्यवस्था के विस्तृत अध्ययन और ब्राय विधेयक 2011 के आधार पर बनायी गयी थी।

हम विज्ञान एवं तकनीक की स्थायी समिति से अनुरोध करते हैं कि वह ब्राय को वापस लेने की अनुशंसा करे, जिसकी जगह एक जैव सुरक्षा संरक्षण विधेयक लाया जाए, जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पेश करे।